राजस्थान विधान सभा

कार्य सलाहकार समिति

39वां प्रतिवेदन

मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2018

कार्य सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2018 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई । समिति ने अपने 38वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 28 फरवरी, 2018 से 07 मार्च, 2018 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाय :-

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2018	1. वर्ष 2014-2015 की अतिरेक मांगें (दत्तमत्त में कोई राशि नहीं) एतदर्थ तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण । 2. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2017-2018 (द्वितीय संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण । 3. अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान ।
गुरूवार, दिनांक 01 मार्च, 2018 शुक्रवार, दिनांक 02 मार्च, 2018 शनिवार, दिनांक 03 मार्च, 2018 रविवार, दिनांक 04 मार्च, 2018	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 05 मार्च, 2018	अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान ।

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019 से संबंधित दिनांक 21 फरवरी, 2018 को सदन में विचारार्थ ली जाने वाली अनुदान की मांग संख्या-33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मांग संख्या-30-जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या-51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना सहित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 05 मार्च, 2018 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी ।)

मंगलवार, दिनांक 06 मार्च, 2018	1- राजस्थान वित्त विधेयक, 2018; एवं 2- राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018 - पर विचार एवं पारण ।

जारी..2..

बुधवार, दिनांक 07 मार्च, 2018	1- प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017; 2- राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018; 3- राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018; एवं 4- राजस्थान अपार्टमेन्ट स्वामित्व विधेयक, 2018 (राज्यपाल महोदय से पुनर्विचार हेतु प्राप्त विधेयक) - पर विचार एवं पारण ।

कैलाश चन्द्र मेघवाल
पदेन सभापति

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक 27 फरवरी, 2018

नोट :- उपरोक्त कार्य के बटवारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।